भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 189
दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस

189. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) इसके तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) डेटाबेस औषधियों की गुणवत्ता के लिए निगरानी तंत्र को कैसे मजबूत करेगा तथा औषधि सूत्रण के मजबूत और अचूक विनियमन में कैसे मददगार होगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने देश में निर्मित/विपणित औषधि सूत्रण के लिए राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस पर अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सूचना दी है कि एक व्यापक राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से सीडीएससीओ द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दवा, इसके खुराक स्वरूप, क्षमता, विनिर्माता/विपणक/आयातक आदि सूचना प्रदान करते हुए देश में विनिर्मित/विपणित औषधि सम्मिश्रणों का एक व्यापक डेटाबेस न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक है बल्कि देश भर में परिचालित होने वाली दवाओं की गुणवत्ता तंत्र की निगरानी का विकास करने और विनियामक प्रणाली आदि के एक रूप अभिशासन के लिए भी आवश्यक है। इस समिति ने शिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

*****